



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 713) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2026

सं० 4सं./वि.2-20/2025—224

कला एवं संस्कृति विभाग

संकल्प

24 जून 2026

विषय : कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन “बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप समिति” के गठन एवं सोसायटीज निबंधन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत निबंधन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप का निर्माण ग्राम-हरपुर बसंत, अंचल-वैशाली, जिला-वैशाली में किया गया है। 72 एकड़ में फैले उक्त परिसर में अवस्थित स्तूप में प्रख्यात इतिहासकार और पुरातत्त्वविद् डॉ. ए. एस. अल्तेकर द्वारा वैशाली के किए गए वैज्ञानिक उत्खनन के फलस्वरूप वर्ष 1958-60 के मध्य प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि-अवशेष को सुरक्षित रखा गया है। इसके अतिरिक्त उक्त परिसर में एक विजिटर सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, लाईब्रेरी एवं गेस्ट हाउस का निर्माण भी किया गया है।

भारत एवं विशेषतः बिहार के इतिहास की छवि को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से पुरावशेषों/कलाकृतियों एवं प्रदर्शों को यथोचित परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित करने के साथ ही रेखांकन एवं आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक दृश्य-श्रव्य उपकरणों के माध्यम से एक विशेष वातावरण की सृष्टि हेतु संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है।

“बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप, वैशाली” के संचालन एवं प्रबन्धन तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन “बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप समिति” नामक स्वायत्त संस्थान का गठन किया जाता है।

2. समिति के उद्देश्य एवं हेतुक निम्नलिखित होंगे :-

- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप परिसर, वैशाली का उसकी सभी आस्तियों एवं दायित्वों के साथ प्रशासन और प्रबंधन ग्रहण करना और संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप को स्थापित कराना तथा उसका रख-रखाव करना;
- संग्रहालय-विकास तथा बौद्ध दर्शन, कला, स्थापत्य, पुरातत्त्व आदि विषयों के क्षेत्र में अध्ययन और शोध कार्य आयोजित करना, उसकी जिम्मेवारी लेना, उसका संचालन करना, उसे बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;
- कला-वस्तु अर्जित करना, उसका अनुसंधान और परिरक्षण करना;
- संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारत और विदेश में इसी प्रकार की गतिविधियों में लगी हुई संस्थाओं/संगठनों के साथ सहयोग करना;

- v) संग्रहालय, बौद्ध स्मृति स्तूप तथा बौद्ध विषयों के विकास से सहानुभूति रखनेवालों के लिए भारत और विदेश में व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन आयोजित करना और देश की संपन्न सांस्कृतिक विरासत से नई पीढ़ी को अवगत कराना;
- vi) संग्रहालय, दुकान, कैफे और जीवंत कार्यक्रम जैसे प्रोत्साहक क्रियाकलापों सहित ऐसी सभी गतिविधियों की जिम्मेवारी लेना जब तक कि वे सांस्कृतिक गतिविधियों के दायरे के अन्दर हों और जो संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप की सभी अथवा किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए संयोगवश आवश्यक अथवा सहायक हों;
- vii) संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप में अध्ययनों एवं शोध के परिणामों को अन्तर्विष्ट करते हुए पुस्तकों, संदर्शिकाओं, पत्रिकाओं एवं पत्रों के प्रकाशन की जिम्मेवारी लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना;
- viii) भारत और विदेश में विभिन्न स्थलों पर संग्रहालय के संग्रहों की प्रदर्शनी के लिए सहयोग करना;
- ix) संग्रहालय विज्ञान, बौद्ध दर्शन, कला, स्थापत्य, पुरातत्त्व और अन्य सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना;
- x) शैक्षिक संस्थानों तथा अन्य सामुदायिक केन्द्रों में कला एवं संस्कृति के कार्यों को करने के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री एवं अन्य मुद्रित वस्तुओं के साथ एक चलंत इकाई स्थापित करना;
- xi) संपत्ति अर्जित करना और धारण करना; परन्तु अचल संपत्ति को अर्जित करने की दशा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो;
- xii) निर्माण करना अथवा समिति से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा धारित किसी भूमि, उद्यान और अन्य किसी अचल संपत्ति का अभिन्यास करना, मरम्मत करना, बढ़ाना, परिवर्तित करना, बड़ा करना, सुधार करना और उपयोग करना;
- xiii) संग्रहालय की योजना और संगठन के माध्यम से संग्रहालयों, शैक्षिक संस्थानों अथवा अन्य निकायों के क्रियाकलापों को बढ़ावा देना
- xiv) समिति के प्रयोजनार्थ सरकार से अथवा किसी व्यक्ति अथवा संगठनों से अनुदान, चंदा, दान, उपहार, वसीयत, उपकृति, चल एवं अचल दोनों संपत्ति के अंतरण को प्राप्त करना अथवा स्वीकार करना;
- xv) निम्नलिखित निधि संधारित करना:
 - क. राज्य सरकार द्वारा उपबंधित सभी धन;
 - ख. अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत अथवा अंतरण के माध्यम से समिति द्वारा प्राप्त सभी धन; और
 - ग. समिति द्वारा किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।
- xvi) समिति द्वारा उपगत व्यय के लिए, जिसमें समिति के गठन और किसी पूर्वोक्त उद्देश्यों में से जिसमें सभी किराया, दर, कर, आगम एवं कर्मचारियों के वेतन शामिल हैं, किसी के प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित सभी व्ययों सहित समय-समय पर समिति द्वारा उपगत व्ययों का समिति की निधि से अथवा इस निधि को किसी विशिष्ट भाग से भुगतान करना;

3. "बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप समिति" के शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति एवं वित्तीय समिति का गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

3.1 शासी निकाय :-

i)	विकास आयुक्त, बिहार	—	अध्यक्ष
ii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य सचिव
iii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य
iv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, पटना	—	सदस्य
v)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन बिहार, पटना	—	सदस्य
vi)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य
vii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य
viii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य
ix)	प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	—	सदस्य
x)	निदेशक, संग्रहालय, बिहार, पटना	—	सदस्य
xi)	जिला पदाधिकारी, वैशाली	—	सदस्य

xii)	निदेशक, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय –सह– स्मृति स्तूप, वैशाली	—	सदस्य
xiii)	सचिव, बोधगया मंदिर प्रबन्धन समिति	—	सदस्य
3.2 कार्यकारिणी समिति :-			
i)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना	—	अध्यक्ष
ii)	निदेशक, संग्रहालय, बिहार (कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना)।	—	सदस्य
iii)	निदेशक, पुरातत्त्व, बिहार (कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना)।	—	सदस्य
iv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	—	सदस्य
v)	जिला पदाधिकारी, वैशाली	—	सदस्य
vi)	निदेशक, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप, वैशाली	—	सदस्य सचिव
vii)	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली	—	सदस्य
viii)	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, वैशाली	—	सदस्य

3.3 वित्तीय समिति :-

i)	निदेशक, संग्रहालय, बिहार, पटना	—	अध्यक्ष
ii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	—	सदस्य
iii)	कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जिसे समिति के सदस्यों के बीच से नामित किया जाना आवश्यक नहीं है	—	सदस्य
iv)	निदेशक, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप, वैशाली	—	सदस्य
v)	वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप, वैशाली	—	सदस्य

4. “बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप समिति” का उपनियम (बाई–लॉज) एवं स्मृति पत्र (मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन) के अनुरूप ‘सोसायटीज निबंधन अधिनियम, 1860’ के अधीन विधिवत् रूप से निबंधित किया जाएगा।

5. “बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप” के प्रबंधन एवं सम्यक संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा “बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप समिति” को सहायक अनुदान दिया जाएगा। यह समिति अपने नियमावली के अनुरूप राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी निधि प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगी। प्राप्त निधि का उपयोग नियमावली में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रणव कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 713-571+200-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>